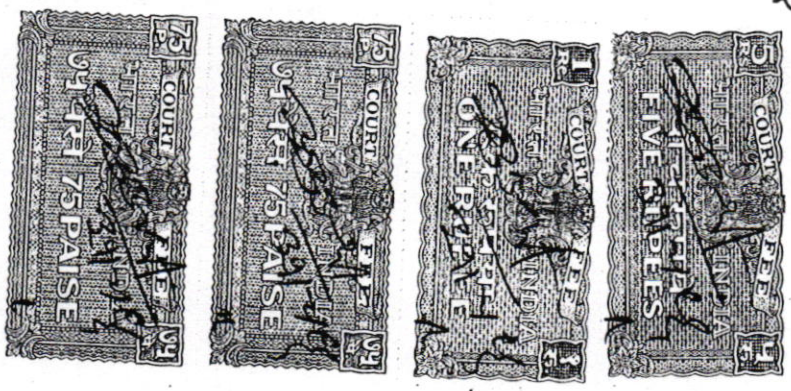

94

C.R.B. 7.50

R.56-III/96

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /९६ निगरानी।

शिवराज सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह, निवासी सौंथा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, म०प्र० --- प्रार्थी

विरुद्ध

१। कृष्णादेवी पत्नी रामनिवास सिंह
२। रामाधार पुत्र रामकृपाल
३। ओंकार प्रसाद पुत्र रामकृपाल
सभी, सबका निवासीगण ग्राम सौंथा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, म०प्र०
--- प्रतिप्रार्थीगण

क्रमांक 255-III
श्री राकेश कु० अवस्थी
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 31.8.96
को प्रस्तुत
31.8.96
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा दिनांक २७-८-९६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता। प्र०क्र० ११५/९५-९६ अपील।

श्रीमान,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की धारायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि वर्तमान प्रकरण में धारा ११५ भू राजस्व संहिता के प्रावधान लागू होते हैं तथा तहसील न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन की गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 56–तीन/1996 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 115/1995–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 27.08.96 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है एवं ऐसा कब्जा लिखकर नायब तहसीलदार ने कोई भूल नहीं की है । अनावेदकगण ने नायब तहसीलदार के द्वारा पारित किये गये आदेश को संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत माना है । जबकि संहिता की मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 115–116 उल्लेखनीय है। संहिता	

की धारा 115 के तहत **संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत– खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों मे गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण–**" यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात, संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैस कि वह उचित समझे उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निर्देश देगा । " धारा 115 की व्याप्ति केवल धारा 114 के अधीन की गई प्रविष्टि तक सीमित है। इस धारा के अधीन शुद्धीकरण तहसीलदार की स्वप्रेरणा से ही किय जा सकता है । किसी पक्षकार के आवेदन पर नहीं । आवेदन पर शुद्धीकरण धारा 116 के अंतर्गत आता है । इसी तरह **संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत–खसरा या किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद–**" यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा। तहसीलदार, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे मामलें में आवश्यक आदेश देगा। " इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है ।

अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 27.08.96 स्थिर रखा जाता है ।

5/ फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य